



अध्या - 2 (क) A
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
दूरभाष -- (0651) 2403852, 2403851, फ़ैक्स -- (0651) 2403850

अधि0 सं0 05

दिनांक 25-2-12

अधिसूचना

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद की 23वीं बैठक दिनांक 03.02.2012 के कार्यवली संख्या-4 में लिये गए निर्णयानुसार विभिन्न श्रेणियों के इकाईयों हेतु सहमति आदेश की अवधि संलग्न विवरणी के अनुरूप संशोधित कर का निर्णय लिया गया है।

अल्पतः
वैसी इकाईयों जो प्रदूषित श्रेणी की हैं और जिनके विस्तृत आरोप एवं शिकायत प्राप्त होते रहते हैं, उनका सहमति अवधि एक वर्ष ही रखने का निर्णय लिया गया है।

यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

ह0/-

(संजय कुमार सिन्हा)

सदस्य सचिव

ज्ञापांक.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/निदेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(संजय कुमार सिन्हा)

सदस्य सचिव

ज्ञापांक...574

राँची, दिनांक 25-2-12

प्रतिलिपि: सभी पर्या0अभि0/पर्सद विश्लेषक/सभी सहा0पर्या0अभि0/प्रशासी पदा0/सभी प्रशाखा पदा0/सभी क0पर्या0अभि0/सहायक एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार सिन्हा)

सदस्य सचिव

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI-834004

Phone.:2400852, 2400851, Fax:0651-2400850; Web site:www.jspcb.org

Validity period of NOC (Consent to Establish) and Consent to Operate to industrial progress registered with Jharkhand State Pollution Control Board

Sl.	Item	Previous Maximum validity period	Revised maximum validity period
-----	------	----------------------------------	---------------------------------

Consent to Establish

1.	New Project	1 year	1 (one) year or till the validity period of Environment Clearance
2.	Expansion of the existing unit	1 year	1 (one) year or till the validity period of Environment Clearance

Consent to Operate

1.	Identified Grossly Polluting Units (Red Hazardous Category)		
	a. Fresh	1 year	1 year
	b. Renewal	1 year	2 years*
2.	Units under Red Major Polluting category (Group-A) (other than Red Hazardous Polluting units)		
	a. Fresh	1 year	1 year
	b. Renewal	1 year	3 years*
3.	Units under Red Major Polluting category (Grade-B)		
	a. Fresh	1 year	1 year
	b. Renewal	1 year	3 years*
4.	Units under Orange (all) category		
	a. Fresh	1 year	2 years
	b. Renewal	1 year	4 years*
5.	Units under Green category	2 years	5 years

* Subject to compliance of all conditions of previous consent order.

* For grossly polluting industries in respect to which serious complain is being received, the consent to operate period such remain one year.

(Sanjay Kumar Sinha)

Member Secretary